न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 124 / 2024

प्रार्थीगण	**बनाम**	विप्रार्थीगण
पाबूराम पुत्र जयराम, वयस्क जाति जाट निवासी लाखोंणी सारणों की ढाणी, कमठाई तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. कमलसिंह पुत्र सोनसिंह, वयस्क 2 लक्ष्मणसिंह पुत्र चेनसिंह, वयस्क 3. नरपतसिंह पुत्र चेनसिंह, वयस्क 4. सगतसिंह पुत्र चेनसिंह, वयस्क जातियान राजपूत निवासी नई कमठाई तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 5. हनुमानराम पुत्र पीराराम, वयस्क 6. मोटाराम पुत्र लच्छाराम, वयस्क 7. राउमल पुत्र लच्छाराम, वयस्क 8. लुम्बाराम पुत्र लच्छाराम, वयस्क 9. मेहराराम पुत्र सिदाराम, वयस्क 10. जेठाराम पुत्र सिदाराम, वयस्क 11. जूझाराम पुत्र अमराराम, वयस्क 12. सूराराम पुत्र अमराराम, वयस्क 13. जोगाराम पुत्र अमराराम, वयस्क 14. मालूदेवी पत्नि अमराराम, वयस्क 15. राहुमल पुत्र पदमाराम, वयस्क 16. देराजराम पुत्र पदमाराम, वयस्क जातियान जाट निवासी लाखोंणी सारणों की ढाणी, कमठाई तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 17. नवलाराम पुत्र तुलसाराम, वयस्क जाति जाट निवासी लाखोंणी सारण की ढाणी हाल निवासी समदड़ो का तला तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 18. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:06:29 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक 11.12.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी का **खेत मौजा** लाखोणी सारणों की ढाणी पटवार मण्डल कमठाई तहसील सिणधरी के **खेत खसरा** संख्या

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

273/99,276/101,415/224,416/224 रकबा कमशः 4.2553,10.1530,0.2292, 10.9593 हैक्टेयर अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा लाखोणी सारणों की ढाणी पटवार मण्डल कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 273/99,276/101,415/224,416/224 रकबा कमशः 4.2553,10.1530,0.2292, 10.9593 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीनी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा लाखोणी सारणों की ढाणी पटवार मण्डल कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 273/99,276/101,415/224,416/224 रकबा कमशः 4.2553,10.1530,0.2292, 10.9593 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है एवं सेढ़ो की माठों को खुर्द बुर्द किया जाता रहा है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा लाखोणी सारणों की ढाणी पटवार मण्डल कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 273/99,276/101,415/224,416/224 रकबा कमशः 4.2553,10.1530,0.2292, 10.9593 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि मौजा लाखोणी सारणों की ढाणी पटवार मण्डल कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 273/ [illegible] /224 रकबा कमशः 4.2553,10.1530,0.2292, 10.9593 हैक्टेयर [illegible] दर्ज है जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी [illegible] 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी [illegible] खातेदार है,और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:06:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करते। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा लाखोणी सारणों की ढाणी पटवार मण्डल कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 273/99, 276/101,415/224,416/224 रकबा क्रमशः 4.2553,10.1530,0.2292, 10.9593 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 1000/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 11.12.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:06:29 IST
Reason: SelfAttested